राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
Email-we.wshgi@gmail.com दूरभाष 0141–2716419

क्रमांक एफ 19 ( )/WE/WSHGI/ IMSPKSY/RS-CSEP/2021-22 दिनांक

इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना

(महिलाओं/बालिकाओं को निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनैलिटी डवलपमेंट प्रशिक्षण)

प्रस्तावना –

माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार ने महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तिकरण के उद्देश्य से बजट घोषणा संख्या 120 वर्ष 2019–20 में राशि रू. 1000 करोड़ की **इंदिरा महिला शक्ति निधि** के गठन की घोषणा की है। उक्त निधि का उपयोग महिलाओं को उद्यम स्थापना हेतु सहयोग, आधुनिक अनुसंधान हेतु सहायता, कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, जागरूकता हेतु शिक्षा तथा पीड़ित महिलाओं के पुर्नवास संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाएगा। उक्त निधि से महिलाओं को इन्दिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RKCL) के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनैलिटी डवलपमेंट का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि महिलाओं का व्यक्तित्व विकास हों तथा उन्हें रोजगार/स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हों सके।

उद्देश्य –

महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक है कि वह आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हों ताकि निर्णय प्रक्रिया में अपना योगदान दे सकें। चूंकि वर्तमान रोजगार हेतु अभ्यर्थी को स्पोकन इंग्लिश का ज्ञान अनिवार्य हो गया है। अतः महिलाओं को स्पोकन इंग्लिश तथा व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा महिला प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजनान्तर्गत RKCL के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश एण्ड पर्सनैलिटी डवलपमेंट का निःशुल्क प्रशिक्षण ।

पाठ्यक्रम एवं पात्रता–

- **कोर्स का संक्षिप्त विवरण :**
  - स्पोकन इंग्लिश का ज्ञान
  - व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण
- **प्रशिक्षण अवधि :**
  - 130 घंटे (2 घण्टे प्रतिदिन, सप्ताह में 5 दिन)

- **आयु :**
  - 16–45 वर्ष (प्रशिक्षणार्थी जिस वर्ष प्रशिक्षण लेने का इच्छुक है उस वर्ष की 1 जनवरी को वह उपरोक्तानुसार आयु सीमा में होना आवश्यक है)।
- **शैक्षणिक योग्यता :**
  - 12 वीं पास महिला/बालिका

<u>आवेदन एवं चयन प्रकिया–</u>

योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगें। तथा निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर विभागीय निर्देशानुसार RKCL द्वारा वरीयता सूची तैयार कर उपनिदेशक/सहायक निदेशक, म.अ के लॉगिन पर उपलब्ध करवाई जायगी। उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता लॉगिन में उपलब्ध वरीयता सूची की जांच कर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रशिक्षणार्थी का ऑन लाईन चयन करेंगे उक्त हेतु RKCL के प्रतिनिधि का सहयोग लिया जा सकता है। निर्धारित लक्ष्यों से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों का चयन निम्नलिखित वरीयता के आधार पर किया जाएगाः–

1. विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता
2. हिंसा से पीडित महिला।
3. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होने कक्षा 12वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं स्नातक है।
4. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होने कक्षा 12वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है एवं आयु 25 वर्ष या अधिक है।
5. ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो कि स्नातक है।

उक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों के चयन के पश्चात् शेष रही सीटों हेतु कक्षा 12वीं के प्राप्तांको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। समान प्राप्तांक की स्थिति में अधिक उम्र वाले वाले प्रशिक्षणार्थीयों को वरीयता दी जाएगी।

आवंटित सीटों में से 18% सीटों पर अनुसूचित जाति एवं 14% सीटों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सम्बन्धित वर्ग में अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य से भरा जाएगा।

योजनान्तर्गत आवंटित वार्षिक लक्ष्यों की 30% सीटों पर प्रशिक्षण बैक टू वर्क योजना के तहत् पंजीकृत महिला अभ्यर्थियों को करवाये जायेंगे। इस हेतु प्रशिक्षणार्थियों की सूची पृथक से RKCL को उपलब्ध करवाई जायेगी।

आवश्यक दस्तावेज –

निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों में से जो भी लागू हो अवश्य लगाएं–

1) आयु सत्यापन हेतु 10वीं कक्षा का उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/अंक तालिका।
2) न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/अंक तालिका। इससे उच्च शिक्षित होने की स्थिति में उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र/अंक तालिका।
3) विधवा के प्रकरण में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/तलाकशुदा के प्रकरण में तलाकनामा/ परित्यक्ता की स्थिति में परित्यक्ता होने का शपथ पत्र।
4) हिंसा से पीडित महिला के प्रकरण में एफ.आई.आर. की प्रति /घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत घरेलू घटना रिपोर्ट/महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र / अपराजिता पर प्रकरण दर्ज करने के दस्तावेज की प्रति।
5) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरण में जाति प्रमाण–पत्र।
6) 12वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण करने के साक्ष्य में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/ट्रान्सफर सर्टिफिकेट ।

नोट :– क्रम संख्या 1) एवं 2) पर वर्णित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से सभी श्रेणियों के आवेदकों को लगाना आवश्यक है।

चयनित प्रशिक्षणार्थियों के मोबाईल/ई–मेल आई.डी पर रेफरेन्स नम्बर एवं आई.टी. ज्ञान केन्द्र (जिस हेतु प्रशिक्षणार्थी का चयन हुआ है) की सूचना दी जायेगी जिसके आधार पर प्रशिक्षणार्थी संबंधित आई.टी. ज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु रिर्पोटिंग करेगें एवं बायोमेट्रिक पंजीकरण करवाएगें।

प्रशिक्षण–

योजनान्तर्गत प्रशिक्षण RKCL द्वारा उनके चिन्हित आई.टी. ज्ञान केन्द्रों पर प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति बायो मैट्रिक मशीन से की जाएगी। प्रशिक्षणार्थियों को नियमित रूप से आई.टी. ज्ञान केन्द्र पर प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। 65% से कम बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाने वाले प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में बैठने हेतु पात्र नहीं होंगे एवं उन्हें प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। प्रशिक्षण की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को RKCL द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में भाग लेना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थियों को RKCL द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

योजनान्तर्गत भुगतान–

योजनान्तर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा RKCL को दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। प्रथम किश्त का भुगतान उन्हीं प्रशिक्षणार्थियों हेतु किया जाएगा जिनका लर्नर कोड जारी किया गया है एवं बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन है। प्रथम किश्त अन्तर्गत RS-CSEP प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क रू.

4500 प्रति संभागी का 50% राशि रू. 2250 का भुगतान किया जाएगा। द्वितीय किश्त के रूप में शेष 50% राशि रू. 2250 का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों के उत्तीर्ण होने, आई.टी.ज्ञान केन्द्रों द्वारा जनप्रतिनिधि से प्रशिक्षण के उद्घाटन/निरीक्षण/समापन करवाने एवं 65 % से अधिक बायोमैट्रिक उपस्थिति होने पर किया जाएगा। योजनार्न्तगत दोनों किस्तों का भुगतान जिला स्तर पर उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा।

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण –

प्रशिक्षण का निरीक्षण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी महिला पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा एवं निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जाएगी। राज्य स्तर पर योजना का पर्यवेक्षण आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता द्वारा किया जाएगा।

संलग्नः—आवेदन पत्र ।

(रश्मि गुप्ता)
आयुक्त
महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 19 ( )/WE/WSHGI/BA-120/PIGMPKS/RS-CFA/2019-20/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु : –

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया मंत्री महोदया, मबावि, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, समस्त।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
8. निजी सहायक, आयुक्त, महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर।
9. निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ, जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि.(RKCL) झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर
11. वित्तीय सलाहकार, महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
12. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त जिले।
13. उपनिदेशक/ सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता, समस्त जिले।
14. प्रोग्रामर मुख्यालय को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

अतिरिक्त निदेशक (SHG)